

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
10.9.20	<p>भाऊ डाउन के कारण जनरल पेशी हे पेशा हुडी वकील अभयपक्ष उप०) उपार्थी नं. 1 की तलकी उपार्थी नं. 2, 3 का जबाब पेश कले दिनांक 14.10.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
14.10.20	<p>वादी उपस्थित। वादी की ओरसे की सेमट ओरत Adv. ने जमा बकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी नं. 2, 3 की ओरसे जबाब दावा पेश किया। जबाब दावा की मूल वादी वकील को दिलवाना (शामिल पत्रावली) किया गया। वादी एवं वादी वकील ने कथन किया कि मैं अब इस मुकदमे को आगे चलाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए Not-Press में खारिज कर दिया जाव। Not Press किये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेदाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर जबाब से काम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>

Not press

विप्रापत्ति

Identified

(बुका प्रसाद मीना)
उपजज अधिकारी टोडाभीम
जिला-करीली